अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील सं0– 34 / 2025
मो0 इम्तियाज अहमद
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

मो0 रहमतुल्लाह ..... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
मो0 राशिद आलम ..... प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता।
शहजाद हसन खान एवं
असलम अंसारी ..... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

अपीलार्थी मो0 इम्तियाज अहमद, पिता–स्व0 अब्दुल कैयूम, सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा, सिकरौना, पो0–झौवा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 665, दिनांक 30.07.2025 के विरूद्ध यह अपील दायर की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अपील को दायर करने में हुए लगभग 65 दिनों के विलंब को क्षांत करने हेतु Limitation Petition भी दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रसंगाधीन आदेश के माध्यम से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने मनमाने ढ़ंग से तथा अवैध रूप से प्रतिवादी सं0–5 की गैर–मौजूद प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन दिया है, जिसका गठन नियमावली, 2022 के नियम–5 एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील के माध्यम से मदरसा शिक्षा बोर्ड को अपीलार्थी की प्रबंध समिति को अनुमोदन देने हेतु निदेश देने का भी अनुरोध किया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि संबंधित मदरसा की स्थापना स्थानीय मुस्लिम समुदाय के छात्र–छात्राओं को धार्मिक एवं धर्म–निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। उक्त मदरसा अपीलार्थी के दादा हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने मदरसा की संपूर्ण भूमि को दान में दिया था तथा मदरसे का संबंधन एवं मान्यता क्रमशः बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं राज्य सरकार से लिया था। तत्पश्चात्, उक्त मदरसा स्थानीय लोगों द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त मदरसा के संस्थापक, हाजी शरीयतुल्लाह संबंधित प्रबंध समिति के सचिव के पद पर आजीवन कार्य करते रहे। हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के उपरांत उनके वंशज प्रबंध समिति के सचिव

पद पर चुने गए। उक्त मदरसा का संचालन सुचारू रूप से होता रहा। काफी वक्त गुजरने के बाद अरजाद अली ने प्रतिवादी सं0–4 की मदद से एक स्वयंभू प्रबंध समिति का गठन कर मदरसा शिक्षा बोर्ड से मिलिभगत कर, उक्त समिति का अनुमोदन धोखे से बोर्ड के पत्रांक–7178, दिनांक 01.01.2013 द्वारा ले लिया। उक्त समिति स्थानीय लोगों द्वारा गठित नहीं की गई थी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अरजाद अली की प्रबंध समिति के अनुमोदन को इस प्राधिकार के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना से हाजी शरीयतुल्लाह के वंशज सचिव एजाज अहमद के पक्ष में फैसला किया गया। वर्ष 2019 में अरजाद अली की तथाकथित प्रबंध समिति एवं एजाज अहमद की प्रबंध समिति के बीच मदरसा बोर्ड द्वारा प्रबंध समिति को दिए गए अनुमोदन की वैधता के संबंध में मुकदमेबाजी पर विराम लगाया गया। इसके पश्चात्, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी मदरसों के लिए एक सामान्य सूचना जारी की, जिसमें निदेश दिया गया था कि सभी मदरसा अपनी–अपनी प्रबंध समिति को ट्रस्ट अधिनियम एवं सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करें। तब अरजाद अली एवं अब्दुल हलीम ने स्वयं को क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव दर्शाते हुए एक नई, गलत एवं स्वयंभू प्रबंध समिति का गठन कर लिया तथा गलत ट्रस्ट का गठन कर जिसमें उन्होंने स्वयं को मदरसा की भूमि का दान–दाता बताते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड के ज्ञापांक–637376, दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से अनुमोदन हासिल कर लिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी की प्रबंध समिति, जिसमें अब्दुल हलीम सचिव तथा अरजाद अली, अध्यक्ष थे, कभी मौजूद नहीं थी एवं न ही स्थानीय लोगों द्वारा गठित की गई थी तथा उक्त समिति का कोई सदस्य (सचिव तथा अध्यक्ष को लेकर) उक्त मदरसा में भूमि दान–दाता की श्रेणी में नहीं था। धोखेबाजी से तथा गलत एवं मनगढ़त दस्तावेज के आधार पर मदरसा बोर्ड से दिनांक 09.07.2019 को अनुमोदन लिया गया है। अंकनीय है कि उपरोक्त मदरसा के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह, जो अपीलार्थी के पूर्वज (दादा) हैं, द्वारा उक्त मदरसा की संपूर्ण भूमि दान की गई थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है–

मौजा	तौजी सं0	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	क्षेत्रफल
सिकरौना	2	294	548	928	9.10.11
				931	0.42.11
					0.52.11
खुशालपुर	65	281	153	82	0.59
				83	0.54
				454	0.41
				459	0.38
					1–83

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जब प्रतिवादी सं0–5 को यह ज्ञात हुआ कि अब्दुल हलीम तथा अरजाद अली की प्रबंध समिति ने धोखे से मदरसा बोर्ड से अपनी समिति का अनुमोदन ले लिया है, तब उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ मदरसा बोर्ड के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई कि कैसे अब्दुल हलीम की गैर–मौजूद समिति, जिनका न तो मदरसा की स्थापना में कोई योगदान था न ही मदरसा में भूमि दान से कोई संबंध था, का अनुमोदन दे दिया गया है, जबकि प्रतिवादी सं0–5 मदरसा के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह के पोते हैं, जिन्होंने मदरसा को भूमि दान में दी थी तथा प्रतिवादी सं0–5 के पर्यवेक्षण में स्थानीय लोगों द्वारा गठित समिति मदरसा की देख–रेख कर रही है।

प्रतिवादी सं0–5 की आपत्ति पर मदरसा बोर्ड ने मामले का संज्ञान लेकर दोनों पक्षों के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का परीक्षण किया तथा पाया कि प्रतिवादी सं0–5 की प्रबंध समिति सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है तथा प्रतिवादी सं0–5 के दादा हाजी शरीयतुल्लाह ने अपनी संपूर्ण भूमि मदरसा के हित में दान की है तथा उक्त मदरसा के संस्थापक रहे हैं। प्रतिवादी सं0–5 की प्रबंध समिति वास्तविक रूप में मौजूद है तथा मदरसे का संचालन सुचारू रूप से कर रही है। तत्पश्चात् मदरसा बोर्ड ने अब्दुल हलीम वाली प्रबंध समिति का दिनांक 09.07.2023 का अनुमोदन वापस कर लिया तथा प्रतिवादी सं0–5 की प्रबंध समिति को ज्ञापांक–7276–74, दिनांक 03.08.2019 के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया।

अब्दुल हलीम (सचिव) की तथाकथित प्रबंध समिति का अनुमोदन वापस लिए जाने के उपरांत, डॉ0 ए0 अली (अध्यक्ष) ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका (C.W.J.C No.-18224/2019) दायर कर मदरसा बोर्ड के दिनांक 03.08.2019 (ज्ञापांक–7267–94) के आदेश को चुनौती दी, तब माननीय उच्च न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 04.09.2019 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया एवं इस बीच यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0–4 द्वारा दायर रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने इस टिप्पणी के साथ निष्पादित किया कि बोर्ड उपयुक्त निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि यह पाया जाता है कि एक नई प्रबंध समिति के गठन की आवश्यकता है, तो इस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा तथा इसके संबंध में उचित दिशा निर्देश दिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि अधिनियम, 1981 तथा नियमावली, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया इस प्रकार से की जाए जिसमें प्रधान मौलवी, दो दाता सदस्य, एक शिक्षक प्रतिनिधि, दो अभिभावक प्रतिनिधि, दो मदरसा शिक्षा प्रेमी एवं एक बोर्ड द्वारा मनोनीत सदस्य सम्मिलित हों। नई नियमावली, 2022 के लागू होने के बाद पोषक क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा एक नई प्रबंध समिति का गठन दिनांक 11.09.2022 को उक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुरूप किया गया तथा अपीलार्थी मो0 इम्तियाज आलम उक्त प्रबंध समिति के नए सचिव चुने गए। नई

Viram

नियमावली, 2022 के प्रावधानों के पैमाने के अनुसार अपीलार्थी की प्रबंध समिति का गठन किया गया था तथा उक्त मदरसा के प्रधान मौलवी द्वारा प्रस्ताव मदरसा बोर्ड को दिनांक 24.09.2022 को अनुमोदनार्थ भेजा गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी सं0–4 ने हमेशा प्राधिकार को गुमराह किया है और केवल नियंत्रण पाने और मनमाने ढंग से प्रबंधन चलाने के लिए एक झूठी, फर्जी और मनगढ़ंत समिति बनाई है, लेकिन उन्हें हमेशा हार का सामना करना पड़ा है और वह प्रबंध समिति के गठन के संबंध में कभी अपने दावे को साबित नहीं कर सके हैं। प्रतिवादी सं0–4 (सचिव) ने पहले अपनी प्रबंध समिति की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन जब उसे स्वीकृति नहीं मिली, तो उन्होंने प्रतिवादी सं0–5 की समिति को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C सं0–18224/2019 में चुनौती दी, लेकिन अपने पक्ष में कोई आदेश प्राप्त नहीं कर सके। प्रतिवादी सं0–4 ने नियमावली, 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एक फर्जी समिति का गठन किया तथा दस्तावेज मदरसा बोर्ड को अनुमोदन हेतु भेजा, लेकिन नए नियमों के तहत निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जब उनकी प्रबंध समिति को अनुमोदन नहीं मिला, तब प्रतिवादी सं0–4 ने C.W.J.C सं0–4123/2023 के माध्यम से एक रिट याचिका दायर कर मदरसा बोर्ड को प्रतिवादी के प्रबंध समिति को अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की। इस पर मदरसा बोर्ड ने प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमावली, 2022 के अनुसार प्रबंध समिति की सत्यता तथा किस प्रबंध समिति को जनता का विश्वास प्राप्त है, की जांच करने का निर्देश दिया है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की कि इस मामले में असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, मदरसा शिक्षा बोर्ड जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित निर्णय ले।

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, मदरसा बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार को स्थानीय लोगों द्वारा गठित प्रबंध समिति की सत्यता की स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया कि क्या समिति को स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त है एवं क्या यह समिति नियमावली, 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गठित की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को मौके पर जाकर यह जांच करनी चाहिए थी कि अपीलार्थी की प्रबंध समिति और प्रतिवादी सं0–4 की समिति में से कौन सी प्रबंध समिति नियमावली, 2022 की प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा गठित की गई है। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार ने उक्त मामले की लापरवाही से जांच की तथा नियमावली, 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, मदरसा बोर्ड को प्रतिवादी सं0–4 की समिति के पक्ष में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। प्रतिवादी सं0–4 का यह दावा है कि उनकी प्रबंध समिति का गठन इलाके के स्थानीय

Vijay

लोगों द्वारा किया गया था, जबकि उनकी तथाकथित प्रबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे–

(i) मोहम्मद महबूब आलम– अध्यक्ष –शिक्षाविद्।
(ii) अब्दुल हलीम– सचिव– दाता।
(iii) अब्दुल बारिक– सदस्य– दाता।
(iv) मोहम्मद जियाउल हक– सदस्य– शिक्षाविद्।
(v) अशरफ अली–सदस्य–अभिभावक प्रतिनिधि।
(vi) अज़ीज़ा खातून–सदस्य–अभिभावक प्रतिनिधि।
(vii) इंतेज़ार अहमद– सदस्य– प्रधान मौलवी।
(viii) अकरामुल हक–सदस्य–शिक्षक प्रतिनिधि।
(ix) संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी–सदस्य– बोर्ड के प्रतिनिधि।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को जब यह ज्ञात हुआ कि जांच पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी) ने उचित स्थलीय जांच किए बिना और नियमावली, 2022 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतिवादी सं0–4 के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो उन्होंने उक्त जांच प्रतिवेदन पर मदरसा बोर्ड के समक्ष आपत्ति उठाई। अपीलार्थी की आपत्ति पर मदरसा बोर्ड ने संज्ञान लिया और जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार को अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दावे के बिंदु पर नए सिरे से जांच करने का पत्र जारी किया तथा अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बिंदु पर जांच करते हुए मदरसा बोर्ड को पूरक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त पत्र के अनुसरण में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार ने दिनांक 02.05.2024 के पत्र द्वारा अंचलाधिकारी, कदवा को पत्र जारी कर संबंधित मदरसा जिस भूमि पर अवस्थित है, उस भूमि के दानदाता के संबंध में जांच करने का अनुरोध किया। अंचलाधिकारी, कदवा ने उपरोक्त पत्र के अनुसरण में अभिलेखों का निरीक्षण किया और उचित जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जिस भूमि पर मदरसा स्थित है, वह हाजी शरियतुल्लाह द्वारा दान की गई थी, जो अपीलार्थी के दादा हैं तथा प्रतिवादी समिति द्वारा दानदाता के रूप में अब्दुल हलीम और अब्दुल बारी का दावा झूठा पाया गया।

अंचलाधिकारी, कदवा के भूमि दाता के बिंदु तथा अपीलार्थी द्वारा उठाई गई अन्य आपत्तियों के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही, मदरसा बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से प्रतिवादी सं0–4 की उक्त गैर–मौजूद प्रबंध समिति को मंजूरी दे दी, जिसका गठन स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया गया था और न ही उसका कोई सदस्य दान–दाता है। प्रसंगाधीन आदेश के टिप्पणी में यह अंकित किया गया है कि "संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण दिए जाने से यह आदेश प्रभावित होगा"। टिप्पणी की व्याख्या से ही स्पष्ट होता है कि उक्त पूरक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले ही प्रतिवादी सं0–4 की प्रबंध समिति को मंजूरी दे दी गई थी।

Vijay

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नई नियमावली, 2022 के अंतर्गत प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया के अनुसार, प्रधान मौलवी/प्रभारी प्रधान मौलवी को संबंधित मदरसे के परिसर में नवगठित प्रबंध समिति की बैठक आयोजित करनी होती है, लेकिन प्रतिवादी सं0–4 की तथाकथित प्रबंध समिति के गठन के संबंध में प्रधान मौलवी या पूर्व की समिति के किसी भी सदस्य को कोई सूचना नहीं दी गई। प्रतिवादी सं0–4 की प्रबंध समिति के गठन के लिए कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की गई और प्रतिवादी सं0–4 द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण गठन की कार्यवाही और प्रस्ताव स्वनिर्मित दस्तावेज हैं एवं प्रतिवादी सं0–4 की प्रबंध समिति को आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है तथा उनकी समिति में कोई दान–दाता सदस्य नहीं है। चूँकी प्रतिवादी सं0–4 मुखिया और सरपंच के संबंधी है, अतः उनकी मदद से प्रतिवादी सं0–4 ने प्रबंध समिति के गठन के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए, जो सत्य से कोसों दूर है। पंचायत के मुखिया नूर मोहम्मद, मोहम्मद एकरामुल हक के पिता हैं और मोहम्मद एकरामुल हक ने मदरसा बोर्ड को प्रतिवादी सं0–4 की समिति को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा था। सरपंच मोहम्मद मुर्तुजा, तथाकथित सचिव अब्दुल हलीम (प्रतिवादी सं0–4) के भतीजे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया के सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद, स्थानीय लोगों द्वारा विधिवत तरीके से गठित अपीलार्थी की समिति, प्रतिवादी सं0–4 की तथाकथित प्रबंध समिति से पहले मदरसा बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजी गई थी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की प्रसंगाधीन कार्रवाई नियमावली, 2022 का उल्लंघन है क्योंकि उन्होंने एक अस्तित्वहीन प्रबंध समिति को अवैध रूप से मंजूरी दे दी है। अपीलार्थी ने प्रतिवादी सं0–4 द्वारा ऐसी किसी भी समिति के गठन के दावे को पूरी तरह से इनकार किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि प्रसंगाधीन आदेश अवैध, अन्यायपूर्ण एवं मनमाना है तथा प्रतिवादी समिति की मंजूरी रद्द किए जाने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.04.2026 को Written notes of argument दाखिल करते हुए बताया गया कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रतिवादी सं0–5 की प्रबंध समिति के पक्ष में दिया गया शर्तिया अनुमोदन एक सशर्त्त आदेश (Conditional Order) है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को सशर्त्त आदेश (Conditional Order) पारित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है एवं इस प्रकार दिनांक 30.07.2025 का प्रश्नगत आदेश एक अवैध आदेश है। नियमावली, 2022 के अंतर्गत प्रभारी/प्रधान मौलवी मदरसा के परिसर में गठित नई प्रबंध समिति की बैठक आहूत करेगा, परंतु प्रतिवादी सं0–5 की तथाकथित प्रबंध समिति के गठन में प्रधान मौलवी अथवा पूर्व की प्रबंध समिति के किसी सदस्य को कोई सूचना नही दी गई।

Vikas

इस अपील में दिनांक 01.04.2026 की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कतिपय विलेख दिखाते हुए आपत्ति दर्ज कराई एवं विश्वास दिलाया गया कि तथाकथित सचिव एवं अध्यक्ष प्रसंगाधीन मदरसा के दान–दाता है, जो दिग्भ्रमित करने वाला कथन है। प्रस्तुत किए गए एक भी विलेख का उक्त सचिव एवं अध्यक्ष के दान–दाता होने से संबंध नही है। उक्त सचिव एवं अध्यक्ष के पूर्वजों द्वारा मदरसे को कोई भूमि दान में नहीं दी गई है, जो अंचलाधिकारी, कदवा के विस्तृत प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। प्रतिवादी सं0–5 द्वारा संलग्न चारों विलेख केवल इस अपीलीय प्राधिकार को भ्रमित करने हेतु संलग्न किए गए है। इन बिंदुओं को प्रतिवादी द्वारा पूर्व में भी अंचलाधिकारी के समक्ष उठाया गया था, जिसके उपरांत अंचलाधिकारी द्वारा अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन किया गया तथा उक्त के आलोक में यह वर्णित किया गया कि मदरसा में दान की हुई भूमि केवल हाजी शरियतुल्लाह द्वारा दान की गई थी तथा प्रतिवादी सं0–5 की समिति के अध्यक्ष एवं सचिव दान–दाता नहीं है तथा नही किसी वक्फकर्त्ता के वंशज हैं।

<u>प्रतिवादी सं0–5 का पक्षः–</u>

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राज्य सरकार ने, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022 नामक नियमावली बनाई है, जो दिनांक 19.04.2022 से लागू हो गई है। निरसन और व्यावृत्ति (Repeal and Savings) का प्रावधान करते हुए, नियमावली–2022 की धारा–14(1) में यह कहा गया है कि इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से, प्रबंध समिति से संबंधित सभी पिछली नियमावलियाँ, संकल्प, आदेश और निर्देश आदि, इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं। उक्त नियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक तीन साल के बाद एक नई प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, और बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा। यहाँ यह कहा गया है और यह एक स्वीकृत तथ्य भी है कि मदरसा की पिछली सभी दावा करने वाली प्रबंध समितियों का कार्यकाल, किसी भी स्थिति में, दिनांक 08.08.2022 से पूर्व ही समाप्त हो चुका था तथा निरसन तथा व्यावृत्ति प्रावधानों के मद्देनजर पिछले सभी तथ्य और आदेश अब निरर्थक हो गए हैं और इस अपील में नियमावली, 2022 के तहत मुद्दों के निर्धारन करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं।

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को दायर करने में हुए विलंब की क्षांति नहीं हो सकती क्योंकि अपीलार्थी ने उक्त विलंब को क्षांत करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं दिया है एवं इसी बिंदु पर इस अपील को खारिज किया जा सकता है। यह अपील पोषणीय नहीं है।

नियमावली, 2022 की धारा 4 में प्रबंध समिति के गठन का तरीका इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि स्थानीय लोग/संबंधित क्षेत्र के निवासी, दानदाताओं की प्रत्येक श्रेणी से दो

सदस्यों, दो अभिभावक प्रतिनिधियों और दो शिक्षाविदों का चुनाव करेंगे; इसके अलावा, शिक्षण कर्मचारियों द्वारा एक शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा, और प्रधान मौलवी पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। धारा 6 में यह प्रावधान है कि मदरसा बोर्ड केवल उन्हीं प्रबंध समितियों को मंजूरी देगा, जो संबंधित क्षेत्र के स्थानीय लोगों/निवासियों का समर्थन पाने में सफल होती हैं; इस संबंध में, बोर्ड या तो संबंधित ज़िला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, या मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किसी जाँच अधिकारी के माध्यम से मामले की जाँच करवाएगा। नियमावली, 2022 के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी नई प्रबंध समिति को मंजूरी देने या स्वीकृत करने पर स्थायी रूप से विचार करने का एकमात्र आधार स्थानीय लोगों के बहुमत का विश्वास है।

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता ने मामले के प्रासंगिक तथ्य के बताने क्रम में कहा कि उक्त मदरसा में कोई भी प्रबंध समिति कार्यरत नहीं थी। स्थानीय लोगों ने, जिसमें पोषक क्षेत्र के स्थानीय निकाय भी शामिल थे, स्थानीय निवासियों की एक आम बैठक बुलाई और मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली, 2022 के प्रावधानों की भावना और शर्तों के अनुरूप प्रतिवादी की प्रबंध समिति का गठन किया। साथ ही, उन्होंने प्रत्येक श्रेणी से चुने गए सदस्यों से संबंधित समस्त वस्तु और दस्तावेज़ी प्रमाण मदरसा बोर्ड को भेज दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी द्वारा भी एक प्रतिद्वंद्वी दावा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इसके पश्चात् मदरसा बोर्ड ने जाँच का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा, जिन्होंने गहन जाँच–पड़ताल और स्थानीय निवासियों से पूछताछ करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की; जो अपील याचिका के Annexure–10 के रूप में संलग्न है। उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों/निवासियों के अधिकांश लोगों का विश्वास प्रतिवादी प्रबंध समिति में है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त समिति का गठन नियमावली, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, जबकि अपीलार्थी समिति अपने गठन को प्रमाणित करने में असमर्थ रही तथा न ही उन्हें पोषक क्षेत्र के स्थानीय लोगों/निवासियों का विश्वास हासिल है।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अपीलार्थी को सूचना जारी किया गया। हालाँकि, उभय पक्षों की बात सुनने, रिपोर्ट पर विचार करने और उसमें दर्ज निष्कर्षों को नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप पाते हुए–जिनके आधार पर प्रतिवादी प्रबंधन को मंजूरी देने पर विचार किया जाना था–बोर्ड ने सही तौर पर प्रसंगाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायसंगत, उचित, वैध और पूरी तरह से मान्य है, और जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने बोर्ड के समक्ष यह आपत्ति उठाई थी कि प्रतिवादी प्रबंध समिति में 'दाता' (Donor) के रूप में चुने गए सदस्यों में से एक सदस्य वास्तविक रूप में दान–दाता नहीं है। हालाँकि, अपीलार्थी के आग्रह पर, जाँच का कार्य पुनः जाँच पदाधिकारी को सौंप दिया गया। इसके पश्चात, दिनांक 11.08.2025 का एक रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अंचल अधिकारी, कदवा, ज़िला– कटिहार

द्वारा तथ्यों की जाँच के आधार पर तैयार किए गए निष्कर्षों को शामिल किया गया था, जो अनुलग्नक–14 (Annexure 14) के रूप में संलग्न है। अनुलग्नक –14 में निहित बाद की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर कार्रवाई करते हुए, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और सुनवाई की तारीख निर्धारित की। यह मामला अभी भी अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है।

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचलाधिकारी की बाद की रिपोर्ट न तो वक्फ़नामा के अनुसार प्रस्तुत की गई है और न ही नियमावली, 2022 के अनुसार। मदरसे की स्थापना के समय, स्थानीय लोगों/निवासियों द्वारा विचाराधीन मदरसे के निर्माण के लिए एक वक्फ़ बनाया गया था। जिन सभी व्यक्तियों ने वक्फ़ बनाया था, वे भूमि दानदाता हैं और उनके वंशज (प्रतिवादी) भूमि प्रतिनिधि माने जाएंगे।

दस्तावेजों का विवरण

I- वक्फ़ विलेख संख्या 19377–122–413/415 और 1964 KTR-

वक्फ़कर्ता का नामः–

1. हाजी शरीयतुल्लाह
2. शेख सईद।
3. मो. अब्दुल वहाब।
4. मो. मूसा।
5. एसके0 मज़हर अली।

खाता संख्या 153, प्लॉट संख्या 82, 83, 454, 459, क्षेत्रफल 1 एकड़ 83 डिसमिल।

II. वक्फ़ विलेख संख्या 19182–115–307/309–1965 KTR-

वक्फ़कर्ता का नाम– बीबी कुलफुत।

खाता संख्या –47, खेसरा संख्या– 179, क्षेत्रफल– 66 डिसमिल।

III. वक्फ़ विलेख संख्या 22872–26–908/410–1967 KTR-

वक्फ़कर्ता का नाम–

1. एसके0 तैयब अली।
2. एसके0 लाल मोहम्मद।
3. एसके0 पालो।
4. एसके0 ताहिरुद्दीन।
5. एसके0 मोहिउद्दीन।
6. एसके0 काज़ीबुल्लाह।

खाता संख्या 242, खेसरा सं0–503, क्षेत्रफल 84 डिसमिल।

IV. वक्फ डीड संख्या 11446–91–196/198–1970 बरसोई।
वक्फ़कर्ता का नाम – हाजी नेयारुद्दीन।
खाता संख्या 312, खेसरा संख्या 502, क्षेत्रफल–54 डिसमिल।
उपरोक्त विलेखों को अनुलग्नक–4 श्रृंखला में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त विलेखों के विवरण से यह स्पष्ट है कि हाजी शरियतुल्लाह उक्त मदरसा में अकेले दानदाता नहीं हैं। इनके अलावा दस अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्होंने विचाराधीन मदरसा की स्थापना के लिए अपनी ज़मीन दान की है। अपीलार्थी ने इन सभी तथ्यों को छिपाया है और वह सही नियत से यहाँ नहीं आये हैं। मदरसा के दानदाताओं का निर्धारण करने का एकमात्र आधार यह विलेख ही है। उपर्युक्त तथ्यों से, जैसा कि पिछले पैराग्राफों में बताया गया है, यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपील में उठाया गया मुद्दा, मदरसा के मूल प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष भी लंबित है।

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपर्युक्त तथ्यों से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं–

I- क्या विवादित आदेश की कानूनी मान्यता और औचित्य, बाद में आए तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जो आदेश का हिस्सा नहीं था।
II- क्या एक ही मुद्दे को दो प्राधिकारों के समक्ष समानान्तर रूप से उठाया जा सकता है।
III- क्या जब कोई मुद्दा किसी प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष निर्धारण हेतु लंबित हो, तो अपीलीय प्राधिकार के पास उस मामले में दखल देने का कोई अधिकार है जो विवादित आदेश का हिस्सा नहीं है।
IV- क्या मदरसा बोर्ड द्वारा इस मुद्दे पर निकाले गए नतीजे और पारित किए गए आदेश के बाद पक्षकारों को सही प्राधिकारी के सामने मामला उठाने का अधिकार होगा।

उपरोक्त मुद्दों के आलोक में, यह अपील अभी अपरिपक्व है और इस स्तर पर खारिज करने योग्य है तथा प्रसंगाधीन आदेश की कानूनी मान्यता और औचित्य का आकलन या मूल्यांकन उन तथ्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है जो उस समय मौजूद नहीं था। बाद के तथ्यों की प्रस्तुति एक अलग Cause of action को जन्म देती है तथा अपील में इस पर तभी निर्णय किया जा सकता है जब बोर्ड उस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष पर आ जाए। इस अपील में कोई दम नहीं है तथा इसे खारिज किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी सं0–5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.04.2026 को Written notes of argument दाखिल करते हुए बताया गया कि अपीलार्थी स्वयं को हाजी शरियतुल्लाह के वंशज होने का दावा करते है, जबकि उनके द्वारा यह उल्लेख नही किया गया कि प्रतिवादी अब्दुल बारी, शेख शरियद के पुत्र है तथा अब्दुल हलीम, मो0 अब्दुल वहाब के पुत्र है तथा वे भी दान की गई भूमि के प्रतिनिधि हैं। प्रतिवादियों ने तीन अन्य वक्फ विलेख अभिलेख पर लाया है, जिसमें प्रसंगाधीन मदरसे की स्थापना में दस से ज्यादा व्यक्तियों ने वक्फ के तहत मदरसा

को जमीन दान किया है। अंचलाधिकारी, कदवा के दिनांक 24.08.2023 के प्रतिवेदन से यह दृष्टिगोचर होता है कि यह तीन अन्य वक्फ विलेख अथवा जिन व्यक्तियों ने वक्फ बनाया है उनका विवरण अथवा वक्फ की भूमि का विवरण अंकित नहीं है। अतः यह प्रतिवेदन गलत एवं अवैध है। प्रतिवादियों को इसकी कोई सूचना नहीं थी।

अपीलार्थी एवं प्रतिवादी की प्रबंध समिति के बीच द्वंद्व एवं दावे के आलोक में मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार को जाँच का जिम्मा सौंपते हुए नियमावली, 2022 के मद्देनजर जाँच का आदेश दिया, जिन्होंने स्थलीय जाँच में पाया कि अधिकांश स्थानीय लोग/निवासियों का समर्थन प्रतिवादी के प्रबंध समिति को है एवं अपीलार्थी के दावे को खारिज किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार के दिनांक 07.08.2023 के प्रतिवेदन को अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है।

अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 30.07.2025 के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने हेतु दायर किया है, जिसका आधार बाद में आए दिनांक 21.08.2025 के एकपक्षीय प्रतिवेदन को बनाया गया है। इसके संबंध में यह कहा गया कि बाद के प्रतिवेदन को प्रसंगाधीन आदेश के वैधानिकता एवं औचित्य की जाँच का आधार नही बनाया जा सकता है। हाजी शरियतुल्लाह द्वारा मदरसे को 10 डिसमिल से कम जमीन का दान किया गया एवं उन्होंने 4 बीघा से ज्यादा मदरसे में वक्फ की गई भूमि अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु बेच दिया। ऐसा एक भी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है, जो दर्शाए की अपीलार्थी की प्रबंध समिति को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है। उक्त के आलोक में वर्तमान अपील निराधार है। अतः इसे खारिज किया जाए।

<u>बोर्ड का पक्षः–</u>

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि संबंधित मदरसा में अपीलार्थी की ट्रस्ट आधारित प्रबंध समिति को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसकी वैधानिक अवधि तीन वर्ष की थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त अनुमोदन में अपीलार्थी ने प्रबंध समिति के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष की शक्ति को पहले ही स्वीकार कर लिया था तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं की थी। किन्तु जब बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के अस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन के आधार पर तथा दिनांक 19.04.2022 की सरकारी अधिसूचना सं0–396 के नियम 10 के अंतर्गत संबंधित पक्षों को सुनने के उपरांत प्रतिवादी प्रबंध समिति को अनुमोदन प्रदान किया तो अपीलार्थी ने आपत्ति उठाई कि प्रबंध समिति के अनुमोदन के संबंध में अध्यक्ष को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संबंधित मदरसा में प्रतिवादी प्रबंध समिति का अस्थाई अनुमोदन इस शर्त्त के साथ प्रदान किया गया था कि वास्तविक दान–दाता के संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी की विस्तृत जाँच प्रतिवेदन से उक्त अनुमोदन आदेश प्रभावित होगा। इस संबंध में कहा गया है कि प्रसंगाधीन मदरसा के दान–दाता के संबंध में अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर मदरसा की प्रबंध समिति के अनुमोदन का मामला

Vijay

विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। बोर्ड के अध्यक्ष की प्रबंध समिति के अनुमोदन संबंधी शक्ति माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न निर्णयों द्वारा सुस्थापित हो चुकी है। अतः प्रतिवादी की प्रबंध समिति को अनुमोदन प्रदान करना मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसे वर्तमान अपील में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उक्त अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाए क्योंकि यह अपील समयपूर्व अवस्था (Premature stage) में दायर की गई है।

निष्कर्षः– सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को भिन्न–भिन्न तिथियों पर सुना गया। अपील की संचिका में रक्षित तथ्यों एवं सभी पक्षों के अधिवक्ताओं के लिखित जवाब एवं मौखिक बहस के अवलोकन से अपीलीय प्राधिकार को ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपील मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 665, दिनांक 30.07.2025 के विरूद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा मदरसा दारूल होदा, सिकरोना, पो0–झव्वा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार (मदरसा सं0–646) में प्रतिवादी की प्रबंध समिति का अनुमोदन दिया गया है।

यह मामला प्रसंगाधीन मदरसा में प्रबंध समिति के अनुमोदन से संबंधित है। सर्वप्रथम, बोर्ड के प्रश्नगत आदेश इस टिप्पणी के साथ पारित किया गया है कि "संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण प्रतिवेदित करने पर यह आदेश प्रभावित होगा"। यह स्पष्ट है कि प्रतिद्वंदी प्रबंध समितियों के बीच विवाद होने की स्थिति में मदरसा शिक्षा बोर्ड संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को समितियों के स्थलीय जाँच एवं गठन की वास्तविकता की जाँच हेतु जिम्मा सौंपता है। इस मामले में भी बोर्ड ने कतिपय बिंदुओं पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जाँच हेतु आदेश अपने पत्रांक 938, दिनांक 27.06.2023 द्वारा दिया था, जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार ने अपनी जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 880, दिनांक 07.08.2023 के माध्यम से बोर्ड को प्रेषित किया, जिसमें अंकित किया गया था कि प्रतिवादी की प्रबंध समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के चयन प्रधान मौलवी के स्थान पर ग्राम पंचायत राज सिकोरना के सरपंच द्वारा प्रबंध समिति की बैठक आहुत कर किया गया है, जबकि अपीलार्थी की समिति में अध्यक्ष एवं सचिव का चयन प्रधान मौलवी द्वारा बैठक आहुत कर किया गया है तथा यह भी अंकित किया गया कि अपीलार्थी पक्ष की अपेक्षा अब्दुल हलीम (सचिव) वाली प्रबंध समिति को स्थानीय जनता का समर्थन व्यक्त किया गया है।

संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असंतुष्ट अपीलार्थी पक्ष द्वारा मदरसा बोर्ड के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके मद्देनजर मदरसा शिक्षा बोर्ड ने उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुनः अपने पत्रांक 354, दिनांक 09.02.2024 द्वारा अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बिंदु पर नए सिरे से जांच करते हुए मदरसा बोर्ड को पूरक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त पत्र के अनुसरण में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार ने दिनांक 02.05.2024 के पत्र द्वारा अंचलाधिकारी, कदवा को संबोधित कर संबंधित मदरसा की भूमि के दानदाता के संबंध में जांच कर जाँच प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया था।

अंकनीय है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से उक्त पूरक प्रतिवेदन प्राप्त करने के पूर्व ही बोर्ड ने प्रश्नगत आदेश द्वारा प्रतिवादी की प्रबंध समिति का अनुमोदन दे दिया है, जो अकल्पनीय है एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध समिति का अनुमोदन प्रदान करने में बोर्ड को जल्दबाजी थी।

बोर्ड का उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किए जाने के पश्चात् जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार ने बोर्ड द्वारा मांगी गई पूरक जाँच प्रतिवेदन के मद्देनजर अंचलाधिकारी, कदवा से प्राप्त भूमि दान–दाता से संबंधित स्थलीय जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 2381, दिनांक 24.09.2024 को संलग्न कर अपने पत्रांक 304, दिनांक 21.08.2025 के माध्यम से बोर्ड को प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित था कि जिस भूमि पर मदरसा अवस्थित है, वह हाजी शरियतुल्लाह द्वारा दान की गई थी, जो अपीलार्थी के दादा हैं तथा प्रतिवादी समिति द्वारा दानदाता के रूप में अब्दुल हलीम और अब्दुल बारी का दावा निराधार पाया गया।

उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में, मदरसा शिक्षा बोर्ड का प्रश्नगत आदेश नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एतदर्थ, यह अपील स्वीकृत किया जाता है एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 665, दिनांक 30.07.2025 को रद्द किया जाता है तथा बोर्ड को निदेश दिया जाता है कि प्रसंगाधीन मदरसे में नियमानुसार प्रबंध समिति के गठन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ इस अपील की सुनवाई समाप्त की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 53 दिनांक 06/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/मो0 इम्तियाज अहमद, पिता–स्व0 अब्दुल कैयूम, सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा, सिकरौना, पो0–झौवा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/मवाना जमील अहमद, सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा दारूल होदा, सिकरोना, पो0–झौवा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/अब्दुल हलीम, पिता–स्व0 वहाब, ग्राम–सिकरौना, पो0–झौवा, थाना–कदवा, जिला–कटिहार/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 6/5/26
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।